

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मई 2022—ज्येष्ठ 9, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

( संशोधित अधिसूचना )

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

अधि. क्र. 62.... एफ 01-129/2020/18-3 म.प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद सालीचौका जिला नरसिंहपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 215 एफ 01-129/2020/18-3 भोपाल दिनांक 01.10.2020 के द्वारा प्रकाशित की गई थी -

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधित करते हुये नगर परिषद सालीचौका जिला नरसिंहपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है।

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01 अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र. 05 खेरापति वार्ड (3) वार्ड क्र. 09 पटेल वार्ड (4) वार्ड क्र. 14 गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 04 रानी अर्वाति बाई वार्ड (2) वार्ड क्र. 07 विवेकानंद वार्ड (3) वार्ड क्र. 12 शहीद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 05 खेरापति वार्ड (2) वार्ड क्र. 09 पटेल वार्ड
5	अ0ज0जा0 की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अ0वि0 वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 07 विवेकानंद वार्ड (2) वार्ड क्र. 12 शहीद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 06 हरदौल वार्ड (2) वार्ड क्र. 08 संत रविदास वार्ड (3) वार्ड क्र. 10 सरदार वार्ड (4) वार्ड क्र. 15 शिवाजी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

क्र. एफ-1-129-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 62 एफ 1-129-2020-अठारह-3 दिनांक 30 मई, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 30th May 2022  
(Revised Notification)

Not. - No. 62.....F 01-129/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred By Rule of 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Salichouka District Narsinghpur was published vide notification No 215 F 01-129/2020/18-3 Dated 01.10.2020

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Parishad Salichouka Dist Narsinghpur is published as under :-

No	Reservation wards for Category	Total Wards	Reservd wards Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) ward No. 01 Ambedkar Ward (2) ward No. 05 Kherapti Ward (3) ward No. 09 Patel Ward (4) ward No. 14 Gandhi Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for Other Backward Caste	03	(1) ward No.04 Rani Avanti Bai Ward (2) ward No.07 Vivekanand Ward (3) ward No. 12 Shahid Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) ward No.05 Kherapti Ward (2) ward No. 09 Patel Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) ward No. 07 Vivekanand Ward (2) ward No. 12 Shahid Ward
7	No. of Wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 and 6) Women	04	(1) ward No. 06 Haradoul Ward (2) ward No. 08 Sant Ravidas Ward (3) Ward No. 10 Saradar Ward (4) Ward No. 15 Shivaji Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.